तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.91/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म व तामिल में जारी हुए
05.6.2023	पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विक्रम सिंह पुत्र हरी सिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– राजपूत वास, तेलपुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जय मां आशापुरा होटल, एन.एच. 62, बामनवाडजी, तहसील पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 31.3.2022 को फर्म जय मां आशापुरा होटल, एन.एच. 62, बामनवाडजी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रम सिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ मसूर दाल (अन्नपूर्णा उद्योग) का नमूना संख्या S-1788 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./995/Act/2022/974 दिनांक 13.4.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.5.2023 को प्रतिवादी विक्रम सिंह इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रतिवादी विक्रम सिंह ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसने खाद्य पदार्थ मसूर दाल (अन्नपूर्णा उद्योग) को दूसरी दुकान से खरीदा था जिसका बिल गुम गया है। यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण के निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 31.3.2022 को फर्म जय मां आशापुरा होटल, एन.एच. 62, बामनवाडजी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता वि[illegible] राजपूत, निवासी– राजपूत वास, तेलपुर, त[illegible]ण्डवाडा, जिला– सिरोही से होटल [illegible] खाद्य पदार्थ .....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.91/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	सूर दाल (अन्नपूर्णा ब्राण्ड) के 30 किलोग्राम के पैकड बैग को खोलकर उसमें से 4 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मसूर दाल (अन्नपूर्णा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ बेसन के नमूना संख्या S-1788 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./995/Act/2022/974 दिनांक 13.4.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ मसूर दाल (अन्नपूर्णा उद्योग) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम सिंह ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मसूर दाल (अन्नपूर्णा उद्योग) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी विक्रम सिंह पुत्र हरी सिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– राजपूत वास, तेलपुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जय मां आशापुरा होटल, एन.एच. 62, बामनवाडजी, तहसील पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी विक्रम सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30.6.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested